SITAPUR POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेस नोट-जनपद सीतापुर

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक/अभद्र टिप्पणी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांकः-23.10.2026

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल महोदय द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी मिश्रिख श्री विशाल गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना संदना पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सोशल मीडिया (फेसबुक) पर ब्राह्मण समाज के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान किया गया है।

घटना का विवरण:

दिनांक 19.10.2026 को कस्बा संदना में आयोजित कवि सम्मेलन के दौरान अभियुक्त राजकिशोर सिंह द्वारा फेसबुक पर लाइव वीडियो बनाते समय ब्राह्मण समाज पर अभद्र व अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। वीडियो वायरल होने पर प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना संदना पर मुकदमा दर्ज कर त्वरित कार्यवाही की गई।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

- **मु0अ0सं0:** 291/2026
- **धाराएं:** 196 बीएनएस (BNS) व 67 आईटी एक्ट (IT Act)
- **संबंधित थाना:** संदना, सीतापुर

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

1. **राजकिशोर सिंह** पुत्र महेन्द्र पाल सिंह, निवासी: ग्राम व थाना संदना, जनपद सीतापुर।

बरामदगी:

1. **01 अदद मोबाइल फोन** (जिससे अभद्र टिप्पणी का लाइव वीडियो बनाया गया था)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. **उ0नि0** रमेशचन्द्र, थाना संदना , **का0** राजवर्धन, थाना संदना